

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 1983/पौष 14, 1904

No. 2]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1983/PAUSA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय		1	2	3	4
आयात व्यापार नियंत्रण		2.	41	अध्याय-17 कंडिका-157 मद (घ)	उत्पादन के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :- “कारपेट, कार्लीन, गलीचे, दरिया, और नमदे,”
सर्वे० सूचना सं० 1-आई० टी० सी० (पी० एन०)/83 नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1983 विषय:- 1982-83 के लिए आयात एवं निर्यात नीति। मिनिमम सं० आई० टी० सी० (पी० एन०)/3/1/37.- वाणिज्य मंत्रालय की मार्गदर्शिका सूचना सं० 16-आई० टी० सी० (पी० एन०)/82, दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अन्तर्गत प्रकाशित तथा संशोधित प्रेषित, 1982-83 मार्च, 1983 की आयात एवं निर्यात नीति की आरंभ ध्यान दिनांक जाता है:- 4 आयात एवं निर्यात नीति 1982-83 में उचित स्थानों पर निम्न लिखित संशोधन किए जाएंगे :- क्र० आयात- संदर्भ संशोधन सं० निर्यात नीति (जिन्हें 1) 1982-83 की पृष्ठ सं०		3.	48	अध्याय-18 उपकंडिका-180 (4) मद (5)	उत्पादन के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :- “हस्तनिर्मित कारपेट, गलीचे, दरिया, नमदे और कार्लीन।”
		4.	72	परिशिष्ट-2 प्रविष्टि सं० 19(10) कार्बेट पम्पस	वर्तमान विवरण को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा :- “इम्प्रेस्सियस, ग्रेफाइट पम्पस”
		5.	184	परिशिष्ट-17 क्रम० सं० घ-2.1 (2) कायम-4 मद (ङ)	उप मद (6) के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशो- धित किया जाएगा :- “(6) दाहलान/गुन डाना पीछे से गजबूत किए हुए टेप और गहायक जिसमें जूतों के लिए संश्लिष्ट सहायक भी शामिल हैं
1.	39	अध्याय-17 कंडिका-151 मद (घ)	उत्पादन के विवरण को निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :- “ऊर्जा कारपेट, कार्लीन, गलीचे और दरिया (हस्तनिर्मित), ”		

(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4
6.	184	परिशिष्ट-17 क्रम सं० व-2.2 कालम-1 मद (ख)	उप मद (7) के विवरण का निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :- “(7) स्वतः/बिपदार टेप जिसमें प्लास्टिक और पारदर्शी निस्कोस किन्म टेप्स (5% भाग शामिल हैं।”	2.	41	Chapter 17 Para 157 Item (d)	The description of the product shall be amended to read as under :— “Carpets, rugs, druggets, durries and namdhas;”
7.	185	परिशिष्ट-17 क्रम सं० ड-1 कालम-5 अभ्युक्ति (5)	“फाइबर ग्लास” की मद का विवरण जहाँ कहाँ इस अभ्युक्ति में दिखाई दे उसे नीचे दिए गए के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :- “लास फाइबर शीटिंग।”	3.	48	Chapter 18 Sub-para 186(4) Item (v)	The description of the product shall be amended to read as under :— “Hand made carpets, druggets, durries, namdhas and rugs”.
8.	230	परिशिष्ट-22 अभिष्टि म०-5.1	उत्पाद के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :- “कापेट, रगोन्, दारिया, नमदे और कालीन।”	4.	72	Appendix 2 E. No. 19(10) Karbate pumps	The existing description may be amended as under :— “Impervious Graphite Pumps”.
मणि नारायणस्वामी, मुख्य निरीक्षक, आयात-निर्यात				5.	184	Appendix 17 Sl. No D.2.1(ii) Column 4 Item (e)	The description of the sub-item (vi) shall be amended to read as under :— “(vi) Nylon/cotton backed reinforcement tapes and backers including synthetic backers for shoes”.
MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL PUBLIC NOTICE No. 1-ITC(PN)/83 New Delhi, the 3rd January, 1983 Subject :—Import & Export Policy for 1982-83.				6.	184	Appendix 17 Sl. No. D. 2.2 Column 4 Item (f)	The description of the sub-item (vii) shall be amended to read as under :— “(vii) Self-adhesive tapes excluding Plastic and transparent viscose film tapes (5%)”.
F. No. IPC/3/1/82.—Attention is invited to the Import and Export Policy for April, 1982/March, 1983, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 16-ITC (PN)/82 dated the 5th April, 1982, as amended.				7.	185	Appendix 17 Sl. No. E. 1 Column 5 Remark (5)	The description “fibreglass”, appearing in this Remark shall be amended to read as under :— “glass fibre sheeting”.
2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import and Export Policy for 1982-83 :—				8.	230	Appendix 22 Entry No. 5.1	The description of the product shall be amended to read as under :— “Carpets, drugget, durries, namdhas and rugs”.
Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy (Vol-I). 1982-83	Reference	Amendments				
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	39	Chapter 17 Para 151 item (viii)	The description of the product shall be amended to read as under :— “Woollen carpets, rugs, druggets and durries (hand made);”.				

MANI NARAYASWAMI, Chief Controller of Imports and Exports